



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान)

(An autonomous Institute under the aegis of Ministry of Education (Shiksha Mantralaya), Govt. of India)

Plot No. FA7, Zone P1, GT Karnal Road, Delhi-110036, INDIA

दूरभाष/Tele: +9111-33861000, 1001, 1005 फ़ैक्स/ Fax: +9111-27787503,

वेबसाइट/Website: www.nitdelhi.ac.in

GUIDELINES FOR USING AMBULANCE SERVICES

These guidelines are applicable for the usage of ambulance by students, faculty and staff of NIT Delhi.

Categories

There are two categories in which Ambulance services shall be applicable:

- A) Usage by Students
- B) Usage by Faculty and Staff

A) For Students:

a) Free of charge service:

1. Ambulance can be used to transport the patient from institute/hostel to nearest hospital in case of emergency.
 2. It can also be used to transport the patient from institute/hostel to nearest diagnostic center for pathology/radiology tests only if the patient is not able to go on his/her own. However, it needs recommendation of institute medical officer.
 3. During working hours of the Health Center when the medical officer is present, Hostel wardens shall not be authorized to directly send students to hospital. Firstly, the patient must visit the Health Center and if required the Medical Officer will refer for further treatment/test.
 4. During off hours, the wardens can directly send the students to hospital immediately in case of emergency wherein a message will be dropped to the chief warden and medical officer regarding it.
 5. In case a student is bedridden, ambulance can be used to drop him/her to railway station/airport. However, if transport is beyond Delhi/NCR it will be chargeable.
- b) For outstation movement of ambulance in case of emergency, a request must be made to the medical officer. The Medical Amenities Committee will then look into the request at the earliest. Charges for outstation movement will be as per institute's TA norms.

B) For Faculty and Staff:

a) Free usage categories - For employees residing within campus:

1. Ambulance can be used to transport the patient from institute/residence (within campus) to hospital/diagnostic center in case of emergency on the recommendation of institute medical officer only.
2. It can also be used to transport the patient from hospital to residence (within campus) after discharge under condition when patient cannot travel on his/her own vehicle
3. In case of emergency during off hours of the health center, the faculty/staff residing within campus can directly call the ambulance driver/security guard at main gate for ambulance services wherein a message will be dropped to medical officer intimating it.
4. In case the patient is bedridden, ambulance can be used to drop him/her to railway station/airport. However, if transport is beyond Delhi/NCR it will be chargeable.

b) Chargeable: For employees residing outside campus:

1. Ambulance can be used to transport the patient from residence (outside campus) to hospital only under **emergency condition** leading to hospitalization in case of bedridden/multiple fractures/critical patient etc. Charges will be as per the institute's TA norms per km.
2. For **non-critically ill patients**, if ambulance service is needed for routine diagnostic tests/ routine visit to nearby hospitals from the institute, charges will be as per the institute's TA norms per km.
3. In case of emergency during off hours of the health center, the faculty/staff residing outside campus can directly call the ambulance driver/security guard at main gate for ambulance services wherein a message will be dropped to medical officer intimating it. Charges will be as per the institute's TA norms per km.
4. For outstation movement of ambulance in case of emergency, a request must be made to the medical officer. The Medical Amenities Committee will then look into the request at the earliest. Charges for outstation movement will be as per the institute's TA norms per km.

c) The usage of ambulance service will be free during office hours: It can be used to transport the patient from institute to hospital/diagnostic center on the recommendation of institute medical officer only in case of emergency.

Note:

1. Maximum limit for free one-way usage of ambulance shall be limited to **60 kms** from NIT Delhi campus in non-emergency cases. However, in emergency cases, there is no such restriction.
2. The logbook of the ambulance shall be maintained by the office of controller of vehicle.

PARAMEDICAL STAFF SERVICES:

- The Paramedical staff (male/female nursing staff) will accompany the patient to hospital from NIT Delhi in following circumstances only:
 - 1) Unconscious patient not responding to touch, verbal command.
 - 2) Seizures patient with active seizures present
 - 3) Major injury complicated by artery perforation leading to profuse bleeding
 - 4) Oxygen saturation < 90% requiring continuous oxygen support in ambulance
 - 5) Electric Shock patient
 - 6) Severe left sided chest pain (suspected case of Myocardial Infarction)
 - 7) Patient presenting with stroke symptoms
 - 8) Fall patient with multiple injuries
 - 9) Any other case as decided by institute medical officer

एम्बुलेंस सेवाओं के उपयोग के लिए दिशानिर्देश

ये दिशानिर्देश एनआईटी दिल्ली के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा एम्बुलेंस के उपयोग के लिए लागू हैं :-

श्रेणियाँ

ऐसी दो श्रेणियाँ हैं जिनमें एम्बुलेंस सेवाएँ लागू होंगी:

(A) छात्रों द्वारा उपयोग

(B) संकाय और कर्मचारियों द्वारा उपयोग

A) छात्रों के लिए:

a) निःशुल्क सेवा:

1. आपातकालीन स्थिति में मरीज को संस्थान/छात्रावास से निकटतम अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जा सकता है।
 2. इसका उपयोग रोगी को संस्थान/छात्रावास से पैथोलॉजी/रेडियोलॉजी जांच के लिए निकटतम डायग्नोस्टिक सेंटर तक ले जाने के लिए भी किया जा सकता है, बशर्ते कि वह स्वयं वहां जाने में सक्षम न हो। हालांकि, इसके लिए संस्थान के चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति की आवश्यकता होती है।
 3. स्वास्थ्य केंद्र के कार्य समय के दौरान जब चिकित्सा अधिकारी मौजूद हो, तो छात्रावास के वार्डन को छात्रों को सीधे अस्पताल भेजने का अधिकार नहीं होगा। सबसे पहले, रोगी को स्वास्थ्य केंद्र जाना होगा और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा अधिकारी आगे के उपचार/परीक्षण के लिए रेफर करेंगे।
 4. अवकाश के समय वार्डन आपातकालीन स्थिति में छात्रों को तुरंत अस्पताल भेज सकते हैं, जिससे मुख्य वार्डन और चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में संदेश मिल जाएगा।
 5. अगर कोई छात्र बिस्तर पर पड़ा है, तो उसे रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, अगर परिवहन दिल्ली/एनसीआर से बाहर है तो इसके लिए शुल्क देना होगा।
- b) आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को बाहर भेजने के लिए, चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया जाना चाहिए। उसके बाद चिकित्सा सुविधा समिति जल्द से जल्द अनुरोध पर विचार करेगी। बाहर भेजने के लिए शुल्क संस्थान के टीए मानदंडों के अनुसार होगा।

B) संकाय एवं कर्मचारियों के लिए:

a) निःशुल्क उपयोग श्रेणियाँ - परिसर के भीतर रहने वाले कर्मचारियों के लिए

1. एम्बुलेंस का उपयोग केवल संस्थान के चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर ही रोगी को संस्थान (परिसर के भीतर) से अस्पताल/डायग्नोस्टिक सेंटर तक ले जाने के लिए किया जा सकता है।
2. इसका उपयोग रोगी को अस्पताल से छुट्टी के बाद उसके घर (परिसर के भीतर) तक ले जाने के लिए भी किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में जब रोगी अपने वाहन से यात्रा नहीं कर सकता हो।
3. स्वास्थ्य केंद्र के बंद घंटों के दौरान आपातकाल के मामले में, संकाय/कर्मचारी (परिसर के भीतर) एम्बुलेंस सेवाओं के लिए मुख्य द्वार पर सीधे एम्बुलेंस चालक/सुरक्षा गार्ड को कॉल कर सकते हैं, जिसमें चिकित्सा अधिकारी को एक संदेश भेजा जाएगा।
4. अगर मरीज बिस्तर पर है, तो उसे रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, अगर परिवहन दिल्ली/एनसीआर से बाहर है, तो इसके लिए शुल्क देना होगा।

b) प्रभार्य: परिसर के बाहर रहने वाले कर्मचारियों के लिए

1. एम्बुलेंस का उपयोग रोगी को निवास (परिसर के बाहर) से अस्पताल ले जाने के लिए केवल आपातकालीन स्थिति में किया जा सकता है, जिससे बिस्तर पर पड़े / कई फ्रैक्चर / गंभीर रोगी आदि के मामले में अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। शुल्क संस्थान के टीए मानदंडों के अनुसार प्रति किमी होगा।
2. गैर-गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए, यदि संस्थान से निकटवर्ती अस्पतालों में नियमित नैदानिक परीक्षणों/नियमित यात्राओं के लिए एम्बुलेंस सेवा की आवश्यकता होती है, तो शुल्क संस्थान के टीए मानदंडों के अनुसार प्रति किमी होगा।
3. स्वास्थ्य केंद्र के बंद समय के दौरान आपात स्थिति के मामले में, परिसर के बाहर रहने वाले संकाय/कर्मचारी एम्बुलेंस सेवाओं के लिए मुख्य द्वार पर सीधे एम्बुलेंस चालक/सुरक्षा गार्ड को कॉल कर सकते हैं, जिसमें चिकित्सा अधिकारी को एक संदेश दिया जाएगा। शुल्क संस्थान के टीए मानदंडों के अनुसार प्रति किमी होगा।
4. आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को बाहर भेजने के लिए, चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया जाना चाहिए। उसके बाद चिकित्सा सुविधा समिति जल्द से जल्द अनुरोध पर विचार करेगी। बाहर भेजने के लिए शुल्क संस्थान के टीए मानदंडों के अनुसार होगा।

c) कार्यालय समय के दौरान एम्बुलेंस सेवा का उपयोग निःशुल्क होगा: इसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में संस्थान चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर रोगी को संस्थान से अस्पताल/नैदानिक केंद्र तक ले जाने के लिए किया जा सकता है।

टिप्पणी:

1. गैर-आपातकालीन मामलों में एम्बुलेंस के निःशुल्क एकतरफा उपयोग की अधिकतम सीमा एनआईटी दिल्ली परिसर से 60 किलोमीटर तक सीमित होगी। हालांकि, आपातकालीन मामलों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
2. एम्बुलेंस की लॉगबुक वाहन नियंत्रक के कार्यालय द्वारा रखी जाएगी।

पैरामेडिकल स्टाफ सेवाएं:

- पैरामेडिकल स्टाफ (पुरुष/महिला नर्सिंग स्टाफ) केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही मरीज को एनआईटी दिल्ली से अस्पताल ले जाएगा:
 - 1) बेहोश रोगी स्पर्श, मौखिक आदेश पर प्रतिक्रिया नहीं करता।
 - 2) सक्रिय दौरों के साथ दौरों का रोगी मौजूद है
 - 3) धमनी में छेद होने से गंभीर चोट लगने से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है।
 - 4) ऑक्सीजन संतृप्ति $< 90\%$ होने के कारण एम्बुलेंस में लगातार ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता होती है।
 - 5) इलेक्ट्रिक शॉक रोगी
 - 6) सीने में बायीं तरफ तेज़ दर्द (मायोकार्डियल इंफार्क्शन का संदिग्ध मामला)
 - 7) स्ट्रोक के लक्षणों के साथ पेश होने वाला मरीज़
 - 8) कई चोटों के साथ गिरने वाला मरीज़
 - 9) संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा तय किया गया कोई अन्य मामला